

कार्यालय अंचल अधिकारी, करी ।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०-...../...../.....

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉब एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की तिथि
	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा० दिनांक 13.05.2018 सहपट्टित श्री अदुज मुखर्जी निदेशक भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक- 03.09.1985 एवं सह पट्टित राजस्व विभाग के परिपत्र रा०-914/रा०, दिनांक-09.12.1988 में निहित निदेशक अनुपालन में संसजक आ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉब प्रारंभ की गयी। जॉब के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नलिखित विवरणों की भूमि -</p> <p>मौजा..... थाना नं०..... खता नं०..... खेसत नं०..... रकब..... रकब की भूमि जो संसजक आ खास अनावद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी - II के जिल्द सख्या..... के पृष्ठ संख्या..... पर जमाबंदी रैजत..... </p> <p>पिता/पति..... के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचापरान्त उपर्युक्त विवरणों जो भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाय प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिन सक्षम प्रधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्तों के अन्तर्ग पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्तों के आधार पर/सादा हुकुमनान के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति करित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना गारंटीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैजत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तवेज/निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पुच्छ करे, कि क्या नई सक्षम जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारों को रद्द करने हेतु अनुशासन किया जाय।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख दिनांक 02/11/2018 को रखे</p> <p>लेखापति एवं सहायित अंचल अधिकारी</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी</p>	

आदेश क क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी.
	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत हरिवंश बड़ाईक पिता बहुरन बड़ाईक के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा लिमडा, थाना नं० 41 के सर्वे खतियान में खाता सं० 77 प्लॉट सं० 05 रकबा क्रमशः 1.66 एकड़ भूमि गैरमजुरुआ खास जंगल दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ठ सं० 113 में हरिवंश बड़ाईक पिता बहुरन बड़ाईक के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। पंजी II में लगान रसीद नियमित दर्ज नहीं है।</p> <p>संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान जमा दर्ज नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का अस्पष्ट अवैध दखल-कब्जा है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा लिमडा, थाना नं० 41 खाता सं० 77 प्लॉट सं० 05 रकबा 1.66 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत हरिवंश बड़ाईक पिता बहुरन बड़ाईक के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा लिमडा, थाना नं० 41 खाता सं० 77 खेसरा सं० 05 रकबा 1.66 एकड़ भूमि की जमाबंदी को B.L.R ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उच्च समाहर्ता खूँटी को भेजे; लेखापित संशोधित।</p>	
	<p>अंचल अधिकारी करा।</p>	
	<p>अंचल अधिकारी करा।</p>	